रिट याचिका कमांक 5716/15द्वारा श्री रेन् वेलफीय हल्ट दाल वाजाट व्यक्ता भारिपा विरुद्ध म०प्र० शासन एवं अन्य छब्बीस-२ सचिवालय पंजी कमांक 2687 / 2015 / दिनांक 23-16-2015 माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ जबलपुर/इन्दौर/ ग्वालियर से प्राप्त याचिका की प्रति कलेक्टर जिला - ज्याचिपर को भेजकर प्रकरण में प्रभारी अधिकारी नियुक्ति के प्रस्ताव प्राप्त किया जाना है। अ०अ० अवर समिव अपरोम्बाउद्गार पत्र का प्राप्तप कप त्मन्ह क्रिया के हत्ताक्षर हेते प्रत्युत हैं।

विषय: रिट याचिका उमान 57/6/2015 हारा रेन्ट्र वेलफेम्ट इस्ट दाल बाजार लक्ष्य भारिपट विषद्ध अ. छ. शामन सेव हा-५। 431 5m3 542 14-13 16.3.2016 001 5801/DSK की भाने हैंड प्रत्य है U.D.44 | 2016 | 125

pu 20-500/15/GIO/01/20) IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH: Bench at GWALTOR Process 1d: 30082/2015 WP/5716/2015 FOR ADMISSIO From Fixed for 16-11-2 Deputy Registrar, DA-04 Respondent No. **High Court of MP** RAD Bench at Gwalior To, The State of Madhya Pradesh Thr. its Secretary, Revenue Department, Vallabh Bhawan, District- Bhopal (MADHYA PRADESH), Gwalior 01-10-201 Sub: Notice to Respondent No. 1 in writ Petition(Mandamus/Prohibition/ Certiorari/Quo Warranto) No. WP/ 5716/2015 Sir/Madam, I am directed to inform you that one Renu Welfare Trust Thr has filed a petition under Article 226/227 / Constitution of India (Copy enclosed) in this Court, and the same is registered as Writ Petition (Mandamus/ Prohibition/ Co Quo Warranto) No. WP/5716/2015 Take notice that you are required to submit a return personally or through a duly engaged Advocate on or before 16-15 If no return is filed as aforesaid, the petition will be heard and decided exparte. (Seal of the Court) Encl: Copy of Petition Section Officer High Court Of Madhya Pr 202B Benck Gwalier AFFIXED AT GWALIOR



In the Hon'ble High Court of Madhya Pradesh Bench at Gwalior

Writ Petition No. 5716 /2015

Petitioner

Renu Welfare Trust Dal Bazar Lashkar

Gwalior

-Versus-

Respondents

State of Madhya Pradesh & Others

EVENTS

DATE

CHRONOLOGIVAL EVENT

30.07.2015

The present writ petition is being preferred against the inaction on the part of the respondents in not initiating proceedings for determination and payment of compensation to the petitioner as per the provision contained in The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 and other relevant law in respect of such land situated at Village Ramtapura Distt. Gwalior (near Sai Baba Temple at Khetapati), which was illegally, unathorisedly and without due authority of law demolished the boundary wall by the respondents and constructed the road 185 Sq. Meter (around 2000 Sq. Ft.) and out of the land of the petitioner bearing survey No. 307 Min-3 area 0.073 Hectares for the purpose of widening and extending the rcad. In the humble submission of the petitioner, the aforesaid action of the respondents apart from being per se illegal, arbitrary, unconstitutional and unauthorised, is also violative of the provisions of Article 14 and 300-A of the Constitution of India. respondents have no power and authority to deprive and dispossess petitioner' from the property of their ownership and possession in such illegal, arbitrary and unconstitutional manner.

Gwalior.

f the

FL

Date 24.08.2015

(Sanjeev Jain)

Advocate for the Petitioner

कार्यालय कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश

क्रमांक/क्यू/जे.सी./19-6/ (40) 2015

ग्वालियर, दिनांक. 29) 1 0) 15

सिविल प्रक्रिया संहिता 1988 (1908 का अधिनियम सं. 5) के आदेश-27 नियम-1 तथा 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए :--

m. W.P. Ma. 5716 2015 के नाम रेन्द्र के लिए प्रेमर हस्ता क्षर करने और उन्हें सत्यापन करने के लिये तथा कार्य करने, 2.

- प्रभारी अधिकारी को एक आदेश दिया जाता है कि म. प्र. विधि और विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्त्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति के तुरन्त पश्चात् अन्य बातों के साथ ऐसी रीति में जिसके ब्यौरे नीचे दिये गये हैं, निम्नलिखित कार्य करेगा :--(1)
 - प्रभारी अधिकारी मामले के तथ्यों के बारे में तुरन्त ऐसी जांच करेगा जैसे कि आवश्यक हो और याचिका में उठाये गये बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनकी कि मामले के संचालन में महाधिवक्ता / शासकीय अभिभाषक सहायता पहुंचाने की संभावना है, रिपोर्ट तैयार करेगा. यदि किसी प्रकरण पर विधि विभाग से परामर्श किया गया था, तो उस विभाग की राय भी रिपोर्ट से विनिर्दिष्ट की जावेगी. (2)
 - समस्त सुसंगत फाइलें, दस्तावेज, नियत अधिसूचना तथा आदेश एकत्रित करेगा.
 - वाद-पत्र/याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते (3) हुए जिनसे कि शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुँचाने की संभावना है, एक रिपोर्ट तैयार करेगा.
 - उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से सम्पर्क करेगा. (4) (5)
 - शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित जवाब/उत्तर तैयार करवायेगा. (6)
 - प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागज पर भेजेगा :--क-वाद-पत्र एक प्रति के साथ सरकार की एक रिपोर्ट. ख-प्रस्तावित लिखित कथन एक प्रारूप. ग-उन सभी दस्तावेजों की एक सूची जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाईल करना घ-मामले के विशुद्धिकरण के लिये आवश्यक कारण पत्रों की प्राप्तियां उसमें बाद की सुनवाई की तारीख भी वर्णित (7)
 - मामले की तैयारी और संचालन करने में शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना और मामले उसके प्रक्रम और प्रगति में नियत किये गये कर्त्तव्यों का स्वयं को सदैव ही अवगत कराना. (8)
 - अब कोई आदेश / निर्णय विशिष्ठ तथा मध्यप्रदेश के विरुद्ध पारित किया जाता, तब विधि विभाग को सूचित करना तथा उसी क्रम सहित प्रति प्राप्त करने के लिए उसी दिन या आगामी कार्यदिवस को आवेदन करना. (9)
 - अपनी रिपोर्ट तथा आदेश / निर्णय की प्रमाणित प्रतियां तथा शास. अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किये जाने

DIN or l

1-10-

1015

cle 226/ hibition

before I

- यह देखना कि आवेदन करने में तथा प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने और उसकी सूचना देते समय कप्ट नहीं हो. जैसे ही उसे अपनी स्थानान्तरण आदेश प्राप्त होता है वह अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देवें. (11) वह वर्तमान पत्र का भार सौँप देने के पश्चात् भी तब कि प्रभारी बना रहेगा जब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जावे. (12)
- प्रभारी अधिकारी मामला तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता को हर संभव सहयोग देंगे तथा इस बात के लिये उत्तरदायी होगा कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जावे.
- प्रभारी अधिकारी या आदि लोक अभियोजक मुकर्रर है तो यह जैसे भी वाद का निश्चित होता है परिणाम की (13) रिपोर्ट विभागाध्यक्ष माध्यम से सरकार को करेगा. निर्णय की एक प्रति अभी प्राप्त की जावे और रिपोर्ट के साथ
- प्रभारी अधिकारी या यदि लोक अभियोजन मुक्रिर है तो वह इस बात के लिये उत्तरदायी होगा कि उस मामलों में यह किसी वाद के प्रक्रम में पारित किये गये किसी अंतरित आदेश का पुनरीक्षण अपेक्षित है. समय पर कार्यवाही की गई है. अत: एवं वह आदेश की प्रति जैसे ही वह पारित किया जावे विभागाध्यक्ष के माध्यम से अपनी अनुशंसा के साथ (प्रशासकीय विभाग) को अग्रेपित होगा. (15)
- प्रभारी अधिकारी मामले में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपील रिवीजन/पेश करने के लिये भी प्रभारी अधिकारी रहेंगे.और उनका वह कर्त्तव्य रहेगा कि वे यह प्रयास करें कि समय पर अपील रिवीजन पेश करने की अनुमित मिल जाये और विहित अविध में रिवीजन पेश हो जावेंगे.

संलग्न :-- याचिका

याविका की प्रति अतिरिक्त महाधिवक्ता रायांतव से प्रान्त करें एवं प्रस्तुत किये भरो परवादर्तन की एक प्रति इस कानात्व में भेले।

मध्यप्रदेश राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

क्लेक्टर ग्वालियर

प्रतिलिपि :--

- 1. महाधिवक्ता / अतिरिक्त महाधिवक्ता / उप महाधिवक्ता मध्यप्रदेश जबलपुर / इन्दौर / ग्वालियर प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल.
- प्रमुख सचिव, संबंधित विभाग . ने अर्थ प्र प्राप्त विभाग . प्रार्थ अधिकारी की ओर अग्रेषित कर साथ ही शासकीय अधिवकता के सम्पर्क कर दें और उपस्थित प्रमाण-पत्र

प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने तथा अपनी प्रत्येक भेंट (विजिट) पर शास. अधिवक्ता से आगे की कार्यवाही के लिए सलाह करने और मामले में अपनी प्रगति रिपोर्ट के साथ उसे उनके विभागाध्यक्ष को भेजने हेतु अग्रेषित मामले की प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति इस विभाग के साथ विधि विभाग को सदैव ही भेजनी चाहिये बाद पर की एक प्रति इस विभाग को आवश्यक रूप से भेजी जाये मामले की सुनवाई दिनांक, :

के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु. को और पत्र क्रमांक. हेतु नियत की गई.

शाक्षेमुखा—117—कजिन्वा—7-7-10—10,000 प्रपत्र.